न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

Sessions Trial Case No.- 333/2025
CIS No. 333/2025

कम्प्लेन केस सं.– 288 / 2002
अंतर्गत धारा– 182, 211 भा.द.वि.

20.07.2026 एक मात्र अभियुक्त **नरेन्द्र प्रसाद साह** अनुपस्थित है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है उक्त वाद में वर्ष 2002 में कम्प्लेन केस दर्ज हुआ था, जो लगभग 24 वर्ष पुराना है। प्रस्तुत वाद के एक मात्र अभियुक्त केस दर्ज होने के बाद से ही अनुपस्थित है।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त की उपस्थिति के लिए दिनांक 27.08.2010 को समन, दिनांक 16.06.2012 को जमानतीय अधिपत्र, दिनांक 18.11.2017 को प्रोसेस 82 एवं 83 द0प्र0सं0 निर्गत किया गया है साथ ही थानाध्यक्ष को दिनांक 23.10.2024 प्रोसेस 83 द0प्र0सं0 का रिमाइंडर भेजा गया परन्तु आज की तिथि तक न तो अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और ना ही पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है। निर्गत अधिपत्र का तामिला प्रतिवेदन समर्पित नहीं है। ऐसी स्थिति मे अभियुक्त की उपस्थिति निकट भविष्य में संभव प्रतीत नहीं होता है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक धारा 299 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत साक्ष्य नही देना चाहते हैं।

अतः न्यायहित में एक मात्र अभियुक्त नरेन्द्र प्रसाद साह को फरार घोषित किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उक्त फरार घोषित अभियुक्त का नाम फरार पंजी में दर्ज कर उनके विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा इस अभिलेख को विधिवत् अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

sd/-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया